न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 12/2022

1. गोविन्दसिंह पुत्र चानणसिंह जाति भाटी राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी/सायल

बनाम

1. रतनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति भाटी राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्रगीर पुत्र लिलाधर जाति गोस्वामी निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. नरेश कुमार पुत्र रतनलाल जाति ब्राहमण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. धर्मसिंह पुत्र पीरूसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. दर्शन पुत्र श्री लिलाधर जाति गोस्वामी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर।
7. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण/ गैरसायलान

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–7

निर्णय दिनांकः– 19/8/2025

प्रार्थी गोविन्दसिंह पुत्र चानणसिंह जाति भाटी राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ द्वारा विरूद्व मातहत अदालत पचांयत समिति के अनवानी पत्रावली रतनसिंह बनाम गोविन्दसिंह अपील सं. 1/2017 दिनांक 09.03.2022 को पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. प्रार्थी का ग्राम पंचायत भूकरका [illegible] संख्या 02 दिनांक 20.03.2013 को रसीद सं. 92 [illegible] पश्चात बनाया गया पट्टाशुदा मकान में प्रार्थी सपरिवार निवास करता है जो निरन्तर निर्वधन रूप से कब्जा पट्टा शुदा मकान में रिहायश कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

 continue--------

2. उक्त पटटा शुदा मकान में सदैव सपरिवार निवास व आवासीय रूप में काम ले रहा है कुछ राजनैतिक रंजिश से प्रार्थी के पट्टे के विरूद्ध दिनांक 29.01.2017 को गैरसायलान सं. 1 ता 5 ने एक अपील मातहत अदालत में पेश की व प्रार्थी के पटटे सं. 23 दिनांक 20.03.2013 को खारीज करने की मांग की प्रार्थीगण ने अपील के तथ्य पेश किए कि सार्वजनिक चौक में पटटा बनाया गया है, जो मैदान है पटटा खारिज किया जावे। इस पर प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी ने जवाब पेश किया। ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर ही दिनांक 20.03.2013 को पटटा जारी किया था। कोई सावर्जनिक चौक न है, कभी भी कोई होलिका दहन नही हुआ, ना की सार्वजनिक कार्य हुआ, महज राजनेतिक रंजिश से अपील पेश की है, इस पर दोनो पक्षों का आयन्दा तारीख पेशी दे दी गयी व मिसल को पेड़िग रख लिया गया मिसल दिनांक 09.03.2022 को प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक में लेकर प्रार्थी का ग्राम पंचायत भूकरका से जारी पटटा सं. 23 एक पक्षीय तोर पर खारीज कर दिया जो निम्न आधारो पर निगरानी योग्य है।

(क) मातहत अदालत का निर्णय मनमाना स्वेच्छा चारिता पूर्ण व एक पक्षीय निर्णय है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है निगरानीकृत आदेश निरस्त योग्य है।

(ख) मातहत अदालत द्वारा राजनेतिक रंजिश से पारित निर्णय है।

(ग) पूर्व में कई बार सरपंच ग्राम पंचायत गैरसायलान में प्रार्थी के पट्टे शुदा भूकरका पर कब्जा करने व सार्वजनिक शौचालय बनाने व मदाखलत बैजा करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रार्थी ने सिविल कोर्ट में दावा कर उन्हें करूवाया था जब पूर्व से ही सिविल कोर्ट में इसी भूखण्ड के विवाद विचाराधीन है तो मातहत अदालत को पट्टा खारीज करने का कोई अधिकारी नही है।

(घ) वर्षो पूर्व प्रार्थी के अड़ोस पड़ौस के मकानो के बैयनामा किये गये उनमें भी प्रार्थी का मकान आसापासा में दिखाया गया है तथा मौका पर प्रार्थीगण का निवास था और मौका देखा, तब पुराना कब्जा भी स्पष्ट था, निगरानीकृत आदेश मात्र गावं की पार्टी बाजी है। अपीलान्ट का पटटा किसी भी [illegible] सार्वजनिक चौक में नही है। आबादी के मध्य है, जहाँ [illegible] अपनी अपील के होलीका दहन व सावर्जनिक उपयोग [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

(ड़) मातहत अदालत में पत्रावली का विवेचन ही नही किया, ना मौका की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई व एक पक्षीय निगरानीकृत आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue--------

(च) मातहत अदालत ने पंचायत कानून का अध्ययन किये वगैर ही निर्णय पारित कर प्रार्थी को भारी आर्थिक व मानसिंह नुकसान पहुंचाया है।

(छ) निगरानी के अन्य बिन्दु वरवक्त बहस न्यायालय की इजाजत से निवेदन कर दिये जावेगे।

(ज) निगरानीकृत एक पक्षीय है प्रार्थी को निर्णय का ज्ञान नही था। निर्णय का ज्ञान दिनांक 26.06.2022 गांव में चर्चा होने पर पता चला, फिर तुरन्त नोहर आकर दिनांक 27.06.2022 को अपीलकृत आदेश की नकल प्राप्त की और तुरन्त खर्चा की व्यवस्था का वकील नियुक्त कर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। निगरानी ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा दफा 5 मियाद की दरख्वास्त निगरानी है।

(झ) निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर से अनवानी पत्रावली रतनसिंह आदि बनाम गोविन्द सिंह अपील सं. 1 दिनांक 29.01.2017 तलब फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 09.03.2022 निरस्त कर अपीलान्ट का पट्टा बहाल रखा जावे ।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या– 1, 4, 5 रजिस्ट्र्ड द्वारा तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये अतः अप्रार्थी संख्या–1, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। अप्रार्थी संख्या– 2, 3 स्वंय उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–6 रजिस्ट्र्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या–7 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये।

अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा पट्टे की 4–5 गांव के व्यक्तियों द्वारा शिकायत करनें पर दिनांक 20.03.2013 जारी पट्टा खारिज कर दिया गया जबकि माननीय सिविल न्यायालय [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा केवल रंजिशवस अपील पेश की गई एंवम अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा [illegible] को सार्वजनिक जगह बताकर पट्टा खारिज कर दिया। प्रार्थी के नाम से यह पट्टा विधिवत रूप बना हुआ है, जिसकी कार्यालय ग्राम पंचायत में रसीद आदि भी काटी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue--------

09.03.2022 को पट्टा खारिज किया गया एंव प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। माननीय सिविल न्यायालय में विवादित भूखण्ड का जैरकार दावा का निर्णय होनें तक पट्टा खारिज नहीं किया जावे। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–7 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थापना एंव स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थापना एंव स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर में प्रार्थी गोविन्द सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.03.2013 की अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 को निर्णय पारित कर पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.03.2013 को खारिज कर दिया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा पट्टा संख्या–23 पट्टा जारी किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करनें पर यह स्पष्ट नहीं होता कि पट्टा संख्या 23 को किस दस्तावेज के आधार पर खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट में पट्टा संख्या 23 के भूखण्ड पर वर्तमान कौन काबिज है? एंव भूखण्ड के उतरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी दिशा में कौन पड़ौसी है अथवा भूखण्ड खाली है?। मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट में कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2022 में भारी त्रुटि कारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों का पूर्णतया अध्ययन नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य होनें से आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2022 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, नोहर को पत्रावली इस निर्देश के साथ **प्रतिप्रेषित(Remand)** की जाती है। पक्षकारान का पूर्ण सुनवाई अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue--------

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/8/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

19/8/25

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

continue--------